



भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विकास आयुक्त का कार्यालय  
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र  
नोएडा-दादरी रोड, फेज-2, नोएडा - 201305 (उत्तर प्रदेश)  
दूरभाष (जोन कार्यालय): 0120 - 2567268-70 (3 लाइनें), फैक्स: 2562314, 2567276  
ईमेल <dc@nsez.gov.in>; वेबसाइट: [www.nsez.gov.in](http://www.nsez.gov.in)

फा०सं०.10/06/2022-SEZ/

2892  
15/3/2024

दिनांक : 15/03/0024

सेवा में,

(ई मेल के माध्यम से)

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110001।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली - 110002।
3. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
4. प्रधान आयुक्त, आयकर, प्लॉट सं- ए-2 डी, आयकर भवन, सेक्टर - 24, नोएडा।
5. उपसचिव आई एफ - 1, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं 01, नॉलेज पार्क -4, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, (उत्तर प्रदेश)।
8. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश)।
9. उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर खुर्जा विकास प्राधिकरण, कालिन्दी कुञ्ज, जी टी रोड, खुर्जा - 203131 (उत्तर प्रदेश)।
10. संबंधित विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासकर्ता।

विषय: नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 07/03/2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के संबंध में श्री ए० बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में अनुमोदन समिति की दिनांक 07/03/2024 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

संलग्नक : उपरोक्त

भवदीय,  
राजेश कुमार  
15/3/2024  
(राजेश कुमार)  
उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:-

1. सम्बंधित निर्दिष्ट अधिकारी।

## नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में 07.03.2023 को सुबह 11:30 बजे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और खुर्जा में स्थित निजी विशेष आर्थिक क्षेत्र के संबंध में अनुमोदन समिति की बैठक का विवरण।

बैठक में अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

- श्री सुरेंद्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र।
- श्री एस.के. राव, सीमा शुल्क अधीक्षक, नोएडा।
- श्री जगदीश चंद्र, एफटीडीओ, कार्यालय विदेश व्यापार महानिदेशालय, सीएलए, नई दिल्ली।
- श्री दुर्गेश, आयकर अधिकारी, नोएडा।
- श्री मयंक, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नोएडा।

इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) श्री अमित गुप्ता, निर्दिष्ट अधिकारी (ii) श्री राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त, (iii) श्री प्रकाश चंद उपाध्याय, सहायक विकास आयुक्त; (iv) श्री प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त और (v) श्री सुनील गुलियानी, आशुलिपिक/संबंधित कर्मचारी भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद क्रमवार कार्यसूची पर विचार किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के साथ-साथ आवेदकों/विकासक/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए:-

### **1. दिनांक 01.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन:-**

चूंकि 01.02.2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के संबंध में अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी भी सदस्य से कोई संदर्भ प्राप्त नहीं हुआ था, 01.02.2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई थी।

### **मद संख्या 2: नई इकाई की स्थापना का प्रस्ताव।**

#### **2.1 मेसर्स एक्सीलेरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड (अर्शिया विशेष आर्थिक क्षेत्र)**

2.1.1 मेसर्स एक्सेलेरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने " भंडारण, पैकिंग, पुनः पैकिंग, लेबलिंग, पुनः-लेबलिंग " करने के लिए ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला बुलंदशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया था, आवेदक द्वारा प्रस्तुत एचएस कोड के साथ 35 वस्तुओं की सूची के तहत वस्तुओं के लिए वस्तुओं की गुणवत्ता जांच और परीक्षण की पुनः लेबलिंग, समेकन सूची। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 1369.10 लाख रुपये के निर्यात और 1137.02 लाख रुपये के संचयी निवल विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया। आवेदक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में 464.52 वर्ग मीटर (5000 वर्ग फीट) की जगह के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की, जो विकासक द्वारा दिनांक 05.12.2023 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया था।

2.1.2 निम्नलिखित दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जो आवेदक को सूचित कर दिया गया है:-

- आवेदक को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के तहत अनुमत गतिविधियों के अनुसार, फॉर्म-एफ के पैरा V में मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र में किए जाने वाले प्रस्तावित अधिकृत संचालन/गतिविधियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। प्रस्तावित एचएस कोड/वस्तुओं की सूची भी अलग से देना होगा।

*सुरेंद्र मलिक*

- ii. पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन के लिए आईएनसी-22 की प्रति।
- iii. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में आवेदन की तिथि 05.01.2024 के स्थान पर 02.01.2024 अंकित की गयी है।
- iv. जेएनपीए- विशेष आर्थिक क्षेत्र में मौजूदा मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र इकाई के स्वीकृति पत्र की प्रति।
- v. दोनों निदेशकों की नियुक्ति के लिए डीआईआर-12 की प्रतियां।
- vi. कंपनी की लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रतियां जमा करना आवश्यक है।
- vii. आवेदक कंपनी का सीए प्रमाणित वर्तमान शेयरधारिता स्वरूप।
- viii. परियोजना रिपोर्ट में, 'विकासक को किराये' की राशि को विदेशी मुद्रा व्यय के रूप में दिखाया गया है। इसलिए, आवेदक को यह स्पष्ट करना होगा कि विकासक को किराये का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाना है या भारतीय रुपये में।
- ix. 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण देते हुए 232.08 लाख रुपये की प्रस्तावित आयातित इनपुट सेवाओं की सूची।
- x. आयकर विभाग के संबंध में विवरण

2.1.3 श्री विनोद पारिख, अधिकृत प्रतिनिधि और मेसर्स एक्सीलरेट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री संदीप टी. शेजवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

2.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं, लंबे अंतर्देशीय परिवहन के दौरान विचलन की संभावना, उच्च माल ढुलाई लागत को देखते हुए आर्थिक तर्क की कमी और कुछ वस्तुओं की संवेदनशीलता जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखा, जैसा कि कुछ वस्तुओं पर की गई जांच से पता चला है, एजेंसियों द्वारा और आयात मूल्य जिसके नीचे इनमें से कुछ सामान निषिद्ध हैं। इस संदर्भ में, यह महसूस किया गया कि इकाई द्वारा मांगे गए कुछ सामान जैसे काजू (एचएसएन 08013100), टूटा हुआ काजू (एचएसएन 08013210), सुपारी (एचएसएन 080280), काली मिर्च (एचएसएन 09041120), सफेद मिर्च (एचएसएन 09041190) और ब्राज़ील नट (एचएसएन 20081990) संवेदनशील थे।

2.1.5 तदनुसार, अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 के साथ पठित विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार सख्ती से अधिकृत गतिविधियों को करने के लिए इकाई की स्थापना के लिए कुछ संवेदनशील उत्पादों की सूची को छोड़कर, प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मूल सूची से बाहर करने के लिए प्रस्तावित उत्पादों की सूची में HSN 08013100, 08013210, 080280, 09041120, 09041190 और 20081990 और साथ ही आयात और निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' उत्पाद शामिल थे। अनुमोदन ऊपर बताए गए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अधीन है। अनुमोदन निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन भी है:-

- i. ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।
- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
- iii. अनुमोदित वस्तुओं के संबंध में किसी भी घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- iv. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- v. विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- vi. इकाई अनुमोदित वस्तुओं के संबंध में एफएसएसआई प्रमाणीकरण सुनिश्चित करेगी।
- vii. इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और विदेश व्यापार महानिदेशालय की आयात नीति सहित संबंधित अधिकारियों से आयात/निर्यात के लिए आवश्यक 'नापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करनी होगी।

सुरेंद्र मलिक

## 2.2 मैसर्स आईबीडेन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड भारत शाखा कार्यालय (अर्शिया विशेष आर्थिक क्षेत्र)

2.2.1 मैसर्स आईबीडेन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड इंडिया शाखा कार्यालय ने ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, जिला बुलन्दशहर (यूपी) में अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड मल्टी सेक्टर विशेष आर्थिक क्षेत्र में एक (शाखा कार्यालय) इकाई स्थापित करने के लिए आवेदन जमा किया है ताकि आयात और वितरण सिलिकॉन कार्बाइड ईटों और आकार (एचएसएन 69022040)" किया जा सके। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 24830.66 लाख रुपये के निर्यात और 1624.43 लाख रुपये के संचयी निवल विदेशी मुद्रा का अनुमान लगाया। आवेदक ने विशेष आर्थिक क्षेत्र में 46.52 वर्ग मीटर (500 वर्ग फीट) की जगह के लिए सहमति पत्र की एक प्रति प्रस्तुत की, जो विकासक द्वारा दिनांक 05.02.2024 के पत्र के माध्यम से जारी किया गया था।

2.2.2 निम्नलिखित दस्तावेज़/जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है जो आवेदक को सूचित कर दिया गया है: -

- आवेदक द्वारा प्रस्तुत फॉर्म-एफ और सभी सहायक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर/मुद्रांकित नहीं किया गया है।
- श्री श्रीविवासमणि राजगोपालन का नाम फॉर्म-एफ के पैरा IV में उल्लिखित निदेशकों की सूची से हटाया जाना आवश्यक है, क्योंकि आवेदन के साथ संलग्न तीन निदेशकों की अलग-अलग सूची के अनुसार वह आवेदक कंपनी के निदेशक नहीं हैं।
- आवेदक को विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के तहत अनुमति के अनुसार फॉर्म-एफ के पैरा V में प्रस्तावित अधिकृत गतिविधियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा और आवश्यक वस्तुओं की सूची अलग से देनी होगी।
- बेंगलुरु में पंजीकृत कार्यालय के पते के समर्थन में दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है।
- सभी निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- आवेदक कंपनी का सीए प्रमाणित वर्तमान शेयरधारिता स्वरूप प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- पैरा VII(बी) में उल्लिखित 23206.25 लाख रुपये के आयातित कच्चे माल की सूची, जिसमें उनका एचएस कोड दिया गया है, जमा करना आवश्यक है।
- 67 सेवाओं की डिफ़ॉल्ट सूची के अनुसार विवरण देते हुए 899.51 लाख रुपये की प्रस्तावित स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
- पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों को पूरा करने का वचन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2.2.3 मैसर्स आईबीडेन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड इंडिया शाखा कार्यालय के अधिकृत प्रतिनिधि श्री श्रीविवासमणि राजगोपालन, श्री अभिषेक और सुश्री धनश्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया। प्रतिनिधियों ने बताया कि मैसर्स आईबीडेन सिंगापुर पीटीई लिमिटेड 1997 से भारत में कारोबार कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि वे डीजल फिल्टर आवेदन के लिए तैयार उच्च गुणवत्ता वाले सिलिकॉन कार्बाइड सबस्ट्रेट्स का आयात करेंगे और इसे भारत में ऑटोमोबाइल ओईएम को वितरित करेंगे। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि सभी लेनदेन विदेशी मुद्रा में होंगे और प्रस्तावित वस्तु स्कोमेट वस्तुओं के अंतर्गत नहीं आती है।

2.2.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियमों के नियम 18 (5), 2006 निर्देश संख्या 49 दिनांक 10.03.2010 के साथ पढ़ा गया और उन वस्तुओं को आयात और निर्यात के लिए 'प्रतिबंधित' और 'निषिद्ध' भी शामिल नहीं किया गया, इसके अनुसार "सिलिकॉन कार्बाइड ईटों और आकृतियों (एचएसएन 69022040) का आयात और वितरण" करने के लिए इकाई की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अनुमोदन, यदि लागू हो, स्कोमेट सहित किसी भी अनुमोदन और आरबीआई के निर्देशों/परिपत्रों के अनुपालन के अधीन है। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अनुमोदन दस्तावेज़ जमा करने पर निर्भर है। इसके अलावा, अनुमोदन निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन है: -

- ऐसे उत्पाद जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत आयात और निर्यात के लिए "निषिद्ध/प्रतिबंधित" हैं, उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरेंद्र मलिक

- ii. इकाई के अधिकृत संचालन का दायरा सख्ती से विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के अनुसार होगा।
- iii. विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 18(5) के प्रावधानों के अनुसार सभी लेनदेन केवल परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगे।
- iv. विदेश व्यापार महानिदेशालय अधिसूचनाओं/सार्वजनिक सूचना/समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार बंदरगाह प्रतिबंध लागू होंगे।
- v. इकाई, यदि लागू हो, कोई भी प्राधिकरण प्राप्त करेगी।
- vi. इकाई को संबंधित केंद्रीय/राज्य मंत्रालयों/विभागों और विदेश व्यापार महानिदेशालय की आयात नीति सहित संबंधित अधिकारियों से आयात/निर्यात के लिए आवश्यक 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करनी होगी।

### मद संख्या 3 सामग्रियों की सूची के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव:

#### 3.1 मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक

3.1.1 श्री राकेश नेगी, एजीएम और श्री उत्तम देबनाथ, मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के उप प्रबंधक, विकासक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्लॉट नंबर 3 ए, 3 बी और 2 सी, सेक्टर- 126, नोएडा (उत्तर प्रदेश) में अपने आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में निम्नलिखित अधिकृत संचालन करने के लिए मेसर्स एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, विकासक द्वारा प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी: -

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	सड़क पर स्ट्रीट लाइटिंग, सिग्नल और संकेत।	01	7.50
II.	जल उपचार संयंत्र, जल आपूर्ति लाइनें (स्रोत तक समर्पित लाइनें), सीवेज लाइनें, तूफान जल नालियां और उचित क्षमता के जल चैनल।	02	108.00
III.	बिजली (पावर बैकअप सुविधाओं सहित) केवल बंदी उपयोग के लिए।	23	636.37
IV.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	664.07
V.	प्रसंस्करण क्षेत्र का वातानुकूलन	21	213.99
VI.	अभिगम नियंत्रण और निगरानी प्रणाली।	24	26.94
VII.	छिड़काव, आग और धुआं संसूचक के साथ अग्नि सुरक्षा प्रणाली।	07	92.01
VIII.	इंटरनेट संयोजकता सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	215.51
		<b>कुल</b>	<b>1964.29</b>

3.1.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

सुरेंद्र मलिक

### 3.2 मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, विकासक

3.2.1 श्री अमिताभ चौधरी, सीईओ और श्री रोशल लाल, मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.2.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद समिति ने मेसर्स अर्शिया नॉर्दर्न एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड, विकासक द्वारा ग्राम इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, बुलन्दशहर (यूपी) में अपने 'बहु क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र' में अधिकृत संचालन के लिए प्रस्तावित सामग्रियों की सूची को मंजूरी दे दी:

क्र.सं.	अधिकृत संचालन	निर्देश संख्या 50 और 54 के अनुसार अधिकृत संचालन की डिफ़ॉल्ट सूची में क्रम संख्या	अनुमानित लागत (रुपये लाख में)
I.	इकाई अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित प्रसंस्करण क्षेत्र में सभी प्रकार के भवनों का निर्माण।	22	10.65
II.	इंटरनेट संयोजकता सहित दूरसंचार और अन्य संचार सुविधाएं।	05	32.70
		<b>कुल</b>	<b>43.35</b>

3.2.3 यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि निर्दिष्ट अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि आयात के लिए 'प्रतिबंधित/निषिद्ध' उत्पादों की खरीद की अनुमति नहीं दी जाएगी।

#### मद संख्या 4 इकाई के क्षेत्र के विस्तार/आंशिक विलोपन का प्रस्ताव:

#### 4.1 मेसर्स मैसर्स ईएक्सएल.सर्विस कॉमइंडिया प्राइवेट लिमिटेड (गोल्डन टावर विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई-II)।

4.1.1 श्री रमन भसीन, सलाहकार, श्री रविंदर लखनपाल, एवीपी और श्री देबेंद्र बेहरा, मेसर्स ईएक्सएल सर्विस.कॉम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के एएम अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, 6वीं मंजिल, विंग-बी, बिल्डिंग नंबर बी-1' और अनुमानों में संशोधन पर 31027 वर्ग फुट जोड़कर क्षेत्र के विस्तार के लिए मेसर्स एक्सएल सर्विस.कॉम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (इकाई-II) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह प्लॉट नंबर 08, सेक्टर-144, नोएडा (यूपी) में गोल्डन टॉवर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इसकी इकाई के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है: -

विवरण (5 वर्ष के लिए)	मौजूदा अनुमान -(रुपये लाख में)	संशोधित अनुमान -(रुपये लाख में)
अनुमानित निर्यात	267808.43	287923.43
विदेशी मुद्रा निकासी	21414.24	23567.73
निवल विदेशी मुद्रा आय	246394.19	264355.70
आयातित पूंजीगत सामान	1649.39	2738.47
स्वदेशी पूंजीगत सामान	1448.78	1448.78
आयातित इनपुट सेवाएं	19764.85	20829.26
स्वदेशी इनपुट सेवाएं	35695.00	35695.00

सुरेंद्र मलिक

#### **4.2 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (इकाई-I) ।**

4.2.1 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड के डिवीजन मैनेजर श्री मुकेश चौहान और ग्रुप मैनेजर श्री निखिल राठौड़ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.2.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने '2579.14 वर्ग मीटर क्षेत्र [तीसरी मंजिल पर 175 वर्ग मीटर (विंग ए का आंशिक क्षेत्र), एसडीबी, 624 वर्ग मीटर, चौथी मंजिल (विंग-ए का आंशिक क्षेत्र), एसडीबी, पांचवीं मंजिल पर 276 वर्गमीटर (विंग बी का आंशिक क्षेत्र), एसडीबी और 6वीं मंजिल पर 1504.14 वर्गमीटर (विंग ए और बी), एसडीबी] कोफोर्ज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर टीजेड 02 और 2ए, सेक्टर-टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई का को आंशिक रूप से हटाने के लिए मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (इकाई-I) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

#### **4.3 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (इकाई-II) ।**

4.3.1 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड के डिवीजन मैनेजर श्री मुकेश चौहान और ग्रुप मैनेजर श्री निखिल राठौड़ अनुमोदन समिति के सामने पेश हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.3.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने "1131.40 वर्ग मीटर क्षेत्र [तीसरी मंजिल पर 540.40 वर्ग मीटर (विंग ए का भाग क्षेत्र), एसडीबी, चौथी मंजिल (विंग बी का भाग क्षेत्र), एसडीबी, 5वीं मंजिल पर 276 वर्गमीटर (विंग बी का भाग क्षेत्र), एसडीबी और 6वीं मंजिल के भाग क्षेत्र पर 234 वर्गमीटर, एसडीबी-2]" साथ ही "741 वर्गमीटर क्षेत्र का आंशिक विलोपन [तीसरी मंजिल, एसडीबी-द्वितीय के हिस्से में 196 वर्ग मीटर और चौथी मंजिल, एसडीबी-द्वितीय के हिस्से में 545 वर्ग मीटर शामिल है]" कोफोर्ज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर टीजेड 02 और 2 ए, सेक्टर टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में स्थित इसकी इकाई पर 81 वर्ग मीटर शामिल करने के लिए मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (इकाई-II) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।" यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

#### **4.4 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (इकाई-III) ।**

4.4.1 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड के डिवीजन मैनेजर श्री मुकेश चौहान और ग्रुप मैनेजर श्री निखिल राठौड़ अनुमोदन समिति के सामने पेश हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.4.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने 'तीसरी मंजिल (भाग क्षेत्र), एसडीबी-II' में '196 वर्ग मीटर क्षेत्र' को जोड़ने के साथ-साथ तीसरी मंजिल (विंग-ए), एसडीबी का हिस्सा क्षेत्र के '365.40 वर्ग मीटर' को आंशिक रूप से हटाने के लिए मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (इकाई-III) प्लॉट नंबर टीजेड 02 और 2ए, सेक्टर-टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) में कोफोर्ज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

#### **4.5 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (इकाई -IV):**

4.5.1 मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड के डिवीजन मैनेजर श्री मुकेश चौहान और ग्रुप मैनेजर श्री निखिल राठौड़ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

4.5.2 उचित विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने मेसर्स कोफोर्ज लिमिटेड (यूनिट-IV), कोफोर्ज लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में प्लॉट नंबर टीजेड 02 और 2ए, सेक्टर-टेकज़ोन, ग्रेटर नोएडा (उत्तर प्रदेश) के प्रस्ताव जिसमें "2673.14 वर्ग मीटर क्षेत्र [चौथी मंजिल पर 624 वर्ग मीटर, (विंग ए का हिस्सा क्षेत्र), एसडीबी, 1504.14 वर्ग मीटर छठी मंजिल, (विंग बी का भाग क्षेत्र), एसडीबी और चौथी मंजिल पर 545

सुरेंद्र मलिक

वर्गमीटर, एसडीबी-2 का भाग क्षेत्र]" की वृद्धि, "315 वर्गमीटर क्षेत्र [चौथी मंजिल पर 81 वर्गमीटर शामिल है (विंग बी का भाग क्षेत्र), एसडीबी और 234 वर्गमीटर छठी मंजिल पर, एसडीबी-2 का आंशिक क्षेत्र] का आंशिक विलोपन, को मंजूरी दे दी"। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई हटाए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में निर्दिष्ट अधिकारी से 'कोई बकाया नहीं प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करेगी।

#### **मद संख्या 5: विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयों के स्वीकृति पत्र के विलय का प्रस्ताव:**

##### **5.1 मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

5.1.1 मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो प्लॉट एन 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी) सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित है, ने अपनी इकाइयों के स्वीकृति पत्र नंबर 10/23/2019- विशेष आर्थिक क्षेत्र /7515 दिनांक 04.07.2019 को स्वीकृति पत्र नंबर 10/25/2014- विशेष आर्थिक क्षेत्र /3994 दिनांक 24.04.2014 में विलय के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इकाई ने उपरोक्त स्वीकृति पत्र के विलय पर संशोधित समेकित अनुमान प्रस्तुत किए हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है: -

क्र.सं.	विवरण (5 वर्ष के लिए)	अनुमान (रुपये लाख में)
1	निर्यात का एफओबी मूल्य	215851.80
2	विदेशी मुद्रा निकासी	8562.41
3	निवल विदेशी मुद्रा आय (i-ii)	207289.39
4	आयातित पूंजीगत सामान	उपलब्ध नहीं कराया
5	स्वदेशी पूंजीगत सामान	उपलब्ध नहीं कराया
6	आयातित इनपुट सेवाएं	उपलब्ध नहीं कराया
7	स्वदेशी इनपुट सेवाएं	उपलब्ध नहीं कराया
8	रोज़गार	9500 संख्या

5.1.2 समिति ने पाया कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 के अनुसार, अनुमोदन समिति कुछ शर्तों के अधीन एक ही कंपनी या फर्म की दो या दो से अधिक इकाइयों के अनुमोदन पत्रों के विलय के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। शर्तें यह हैं कि ये इकाइयां एक ही विशेष आर्थिक क्षेत्र में आती हैं और विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि उस इकाई के उत्पादन शुरू होने की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी। इसके अलावा, आयकर छूट पहली इकाई के संचालन शुरू होने की तारीख से मानी जाएगी।

5.1.3 मेसर्स कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री पार्थसारथी के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

5.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने स्वीकृति पत्र संख्या 10/23/2019- विशेष आर्थिक क्षेत्र /7515 दिनांक 04.07.2019 को स्वीकृति पत्र संख्या 10/25/2014- विशेष आर्थिक क्षेत्र /3994 दिनांक 24.04.2014, विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 के नियम 19(2) के प्रावधान 4 की शर्तों में विलय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि विलय के बाद, शुद्ध विदेशी मुद्रा की गणना के लिए ब्लॉक अवधि इकाई के उत्पादन की शुरुआत की तारीख से होगी जो पहले शुरू हुई थी यानी 22.10.2014 से और आयकर छूट उस तारीख से मानी जाएगी पहली इकाई का संचालन 22.10.2014 से शुरू होगा। विलय किए गए स्वीकृति पत्र की वर्तमान ब्लॉक अवधि 22.10.2019 से 21.10.2024 तक होगी। यह अनुमोदन निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर आधारित है:-

- इकाई को अधिकृत परिचालन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जिसे वे स्वीकृति पत्र के विलय के बाद बनाए रखना चाहते हैं।

सुरेंद्र मलिक



- ii. इकाई को स्वीकृति पत्र के विलय पर आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के साथ-साथ आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं के लिए संयुक्त अनुमान प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण देते हुए आयातित और स्वदेशी इनपुट सेवाओं की सूची भी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
- iii. इकाई-I के वित्त वर्ष 2014-15 से 2022-23 के वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन में इकाई ने 213.81 लाख रुपये की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री दिखाई है। इसलिए, इकाई को उस अवधि के दौरान भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के विरुद्ध घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में सेवाओं की बिक्री का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- iv. इकाई-II के संबंध में 2019-20 की अवधि के दौरान भारतीय रुपये में 171.91 लाख रुपये की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में सेवाओं की बिक्री का मामला दिनांक 04.10.2021 के ओ/ओ के माध्यम से तय किया गया है। इकाई ने जुर्माना राशि 17,191/- रुपये जमा कर दी है। हालाँकि, वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के वार्षिक प्रदर्शन प्रतिवेदन के अनुसार, इकाई ने 2916.29 लाख रुपये की घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री दिखाई है। इसलिए, इकाई को वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान भारतीय रुपये में प्राप्त भुगतान के विरुद्ध घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में सेवाओं की बिक्री का विवरण प्रदान करने की आवश्यकता है।
- v. दोनों इकाइयों के परिसर के संबंध में वैध पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रतियां जमा करना आवश्यक है।
- vi. स्वीकृति पत्र के विलय के लिए इकाई को विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' जमा करने की आवश्यकता है।

#### **मद संख्या 6: इनपुट सेवाओं के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव:**

##### **6.1 मैसर्स किंड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड:**

6.1.1 मैसर्स किंड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री संजय नाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

6.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, समिति ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, स्वदेशी इनपुट सेवाओं के मूल्य में वृद्धि के लिए मैसर्स किंड्रिल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर 21, सेक्टर-टेकज़ोन IV, ग्रेटर नोएडा (यूपी) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो कि स्थित इसकी इकाई के संबंध में है: -

(रुपये लाख में)

विवरण (5 वर्ष के लिए)	मौजूदा अनुमान	संशोधित अनुमान
निर्यात का एफओबी मूल्य।	227178.75	227178.75
विदेशी मुद्रा निकासी	28031.65	28031.65
निवल विदेशी मुद्रा आय	199147.10	199147.10
आयातित पूंजीगत सामान	3168.00	3168.00
स्वदेशी पूंजीगत सामान	4540.00	4540.00
आयातित इनपुट सेवाएं	0.00	0.00
<b>स्वदेशी इनपुट सेवाएं</b>	<b>1830.00</b>	<b>4623.47</b>

#### **मद संख्या 7: इकाई के स्वीकृति पत्र में वस्तुओं को शामिल करने का प्रस्ताव:**

##### **7.1 मैसर्स अवाट लॉजिस्टिक्स:**

7.1.1 मैसर्स अवाट लॉजिस्टिक्स के मालिक श्री हरविंदर सिंह पनेसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

**सुरेंद्र मलिक**

7.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद अशिया नॉर्डन मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र लिमिटेड बहु-सेवाएं विशेष आर्थिक क्षेत्र, ग्राम-इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा, जिला-बुलंदशहर (यूपी) में स्थित अपनी इकाई के संबंध में मेसर्स अवाट लॉजिस्टिक्स के दिनांक 05.10.2020 के स्वीकृति पत्र में प्रस्तावित वस्तुओं को शामिल करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन एचएस 8 अंक कोड और प्रस्तावित वस्तुओं के उचित/विशिष्ट विवरण के साथ-साथ 'एप्पल' और 'कीवी' जैसे सामानों के संबंध में गुणवत्ता जांच प्रस्तुत करने के अधीन है। इकाई से उपरोक्त दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद, फ़ाइल पर उसकी जांच की जाएगी।

### **मद संख्या 8: नई विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई की स्थापना का प्रस्ताव:**

#### **8.1 मैसर्स एयरटेल इंटरनेशनल एलएलपी:**

8.1.1 मेसर्स एयरटेल इंटरनेशनल एलएलपी ने सीव्यू डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आईटी/आईटीईएस विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्लॉट नंबर 20 और 21, सेक्टर-135, नोएडा (यूपी) में 6वीं मंजिल, टावर नंबर 6 पर 3211 वर्ग मीटर (34567 वर्ग फुट) के निर्मित क्षेत्र में एक इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। यह सेवा गतिविधियाँ शुरू करने के लिए था अर्थात् "प्रबंधन परामर्श और प्रबंधन सेवाएँ; सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ, अन्य सहायता सेवाएँ"। आवेदक ने पांच वर्षों की अवधि में 34322.67 लाख रुपये का निर्यात और 30338.06 लाख रुपये का संचयी निवल विदेशी मुद्रा प्रस्तावित किया है। आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 46.00 लाख रुपये और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 414.00 लाख रुपये का अनुमानित निवेश प्रस्तावित किया गया है। आवेदक ने 1832.00 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं का भी प्रस्ताव दिया है। आवेदक ने प्रस्तावित स्थान के आवंटन के लिए मेसर्स सीव्यू डेवलपर्स लिमिटेड, विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासक द्वारा जारी स्थान का अनंतिम प्रस्ताव दिनांक 15.01.2024 प्रस्तुत किया है।

8.1.2 समिति को यह सूचित किया गया कि इकाई को सबसे पहले सूचित किए जाने वाले आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ देखी गई हैं: -

- i. वर्तमान नामित पादरी अर्थात् श्री विवेक पाटनी और श्री देवेन्द्र बंसल की नियुक्ति के संबंध में संशोधित एलएलपी समझौते की प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- ii. प्रस्तावित सेवा गतिविधियों के सीपीसी कोड की दोबारा जांच करना आवश्यक है और फॉर्म-एफ के पैरा V में सही सीपीसी कोड का उल्लेख करना आवश्यक है।
- iii. निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता फॉर्म-एफ के पैरा VIII (2) में '0.00' के रूप में उल्लिखित है, क्योंकि विकासक ने 6 वीं मंजिल, टॉवर नंबर 6 पर 34567 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के आवंटन के लिए जगह का अनंतिम प्रस्ताव दिया है।
- iv. भूमि की आवश्यकता फॉर्म-एफ के पैरा VIII (1) से हटा दी जाएगी, क्योंकि विकासक ने 6 वीं मंजिल, टॉवर नंबर 6 पर 34567 वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र के आवंटन के लिए जगह का अनंतिम प्रस्ताव दिया है।
- v. फॉर्म-एफ के पैरा (XII) (ii) और (iv) के संबंध में उत्तर हां या नहीं में दिया जाना चाहिए।
- vi. 3984.61 लाख रुपये के प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यय का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- vii. 67 सेवाओं की डिफॉल्ट सूची के अनुसार विवरण देते हुए 1832 लाख रुपये की स्वदेशी इनपुट सेवाओं की मूल्य-वार सूची प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।
- viii. आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं/पट्टेदारी परिसंपत्तियों की सूची प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

8.1.3 श्री अनुज जैन, वरिष्ठ प्रबंधक, श्री हृदयेश शुक्ला, एससीएम, श्री राहुल शेखर, सलाहकार और श्री मोहित झावर, मेसर्स एयरटेल इंटरनेशनल एलएलपी के सलाहकार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। इसके अलावा, मेसर्स एयरटेल इंटरनेशनल एलएलपी के नामित भागीदार श्री विवेक पाटनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और प्रस्ताव के बारे में बताया।

**सुरेंद्र मलिक**

8.1.4 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन उपरोक्त पैरा 8.1.2 में बताए अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के अधीन है।

**मद संख्या 9: माल के भंडारण की अनुमति देने का अनुरोध:**

**9.1 मैसर्स मार्गो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड:**

9.1.1 मैसर्स मार्गो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के वकील श्री सुमित वाधवा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि मैसर्स मार्गो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र का पत्र दिनांक 18.01.2024 24.01.2024 को प्राप्त हुआ था। हालाँकि, एचएस कोड 0801 और 0802 के तहत माल से संबंधित 15 लदान का बिल की आयात खेप 24.01.2024 से पहले या उससे पहले ही अपने स्रोत से भेज दी गई थी। कुछ कंटेनर पहले ही आईसीडी मुरादाबाद/आईसीडी दादरी पहुंच चुके हैं। उन्होंने उपरोक्त खेपों की निकासी की अनुमति देने का अनुरोध किया।

9.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एचएस कोड 0801 और 0802 के तहत माल से संबंधित उपरोक्त 15 आयात खेपों की निकासी की अनुमति देने का निर्णय लिया, जिसके लिए लदान बिल की तारीख 24.01.2024 से पहले है। यह अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि इकाई 'मार्गो इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड' की मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र इकाई के रूप में माल भेजने वाले के नाम वाले लदान बिल की प्रतियां, ग्राहक के साथ समझौते की प्रति या कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी।

**मद संख्या 10: निदेशकों में परिवर्तन की सूचना (तालिका कार्यसूची):**

**10.1 मैसर्स अर्शिया लॉजिस्टिक्स सर्विसेज लिमिटेड:**

10.1.1 श्री अमिताभ चौधरी, सीईओ और मैसर्स अर्शिया लॉजिस्टिक्स सर्विसेज लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक श्री रोशल लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुए और बताया कि कंपनी के शोयरधारिता स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

10.1.2 अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद ग्राम- इब्राहिमपुर, जुनैदपुर उर्फ मौजपुर, खुर्जा जिला बुलन्दशहर (उ.प्र.) में अर्शिया उत्तरी एफटीडब्ल्यूजेड लिमिटेड बहु क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित अपनी इकाई के संबंध में मैसर्स अर्शिया लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में निम्नलिखित परिवर्तनों पर ध्यान दिया। यह अनुमोदन वाणिज्य विभाग के निर्देश संख्या 109 दिनांक 18.10.2021 में निर्धारित सुरक्षा उपायों के अनुपालन के अधीन है:-

पिछले निदेशक	वर्तमान निदेशक
1. श्री महेश गजानन म्हात्रे	1) श्री नवनीत जुगल किशोर चौधरी
2. श्रीमती श्वेता अतुल फांसे	2) श्री अजय शंकरलाल मित्तल
3. श्री बीनू जैकब	3) श्री आशीष कुमार बैरागरा
	4) श्री ऋषभ शज पंकज

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

**सुरेंद्र मलिक**  
(सुरेंद्र मलिक)  
संयुक्त विकास आयुक्त

**अ. बिपिन मेनन**  
(ए. बिपिन मेनन)  
विकास आयुक्त